पीठासीन अधिकारी– अंजू शर्मा आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर 80 / 2012 पुराना मुकदमा नम्बर 133 / 1992

उनवान

7. रामबिलास (मृतक)पुत्र जगन्या जाति ब्राहमण निवास ग्राम दुब्बी जिला सवाईमाधोपुर

1/1 रमेश चन्द पुत्र रामविलास शर्मा

1/2 कमलेश पुत्र रामविलास शर्मा

1/3 गिर्राज पुत्र रामविलास शर्मा

1/4 मु0 कमला पत्नि स्व0 रामविलास शर्मा समस्त जाति ब्राहमण निवासी ग्राम दुब्बी तहसील व जिला सवाईमाधोपुर

1/5 मु0 शकुन्तला पत्नि शम्भूदयाल पुत्री रामविलास शर्मा

1/6 मु0 रेखा पत्नि प्रेम शंकर पुत्री रामविलास शर्मा

जाति ब्राहमण निवासी ग्राम शिवाड़ तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाईमाधोपुर।

8. बजरंगा पुत्र जगन्या जाति ब्राहमण निवासी ग्राम दुब्बी तहसील सवाईमाधोपुर

9. प्रभू लाल (मृतक) पुत्र जगन्या जाति ब्राहमण निवासी ग्राम दुब्बी जिला सवाईमाधोपुर

3/1 अशोक कुमार पुत्र प्रभू लाल

3/2 मु0 दुर्गा देवी पत्नि स्व0 प्रभू लाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम दुब्बी सवाईमाधोपुर

3/3 मु0 शीला देवी पत्नि मुन्ना लाल उर्फ ताड़केश्वर पुत्री प्रभू लाल निवासी मोहल्ला बन्जारी की झोपड़ी जिला भीलवाड़ा

3/4 मु0 उर्मिला पत्नि विजेन्द्र पुत्री प्रभू लाल जाति ब्राहमण निवासी जामडोली जयपुर।

(वादीगण)

बनाम

3. नन्द किशोर उर्फ गोकुल (मृतक) पुत्र रामप्रसाद जाति ब्राहमण

1/1 दामोदर लाल शर्मा

1/2 कमलेश चंद शर्मा

1/3 राजेन्द्र प्रसाद शर्मा पुत्रान नन्द किशोर जाति ब्राहमण निवासी दुब्बी तहसील सवाईमाधोपुर

2 रमेश चन्द पुत्र मूलचन्द जाति ब्राहमण

3 मु0 मथुरी पत्नि स्व0 कस्तुरा समस्त जाति ब्राहमण निवासी ग्राम दुब्बी बनास सवाईमाधोपुर (हज्फ)

4 सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार,सवाई माधोपुर। (प्रतिवादीगण)

वाद पत्र बाबत इन्द्राज दुरुस्ती, इस्तकरार हक एवम् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थित अभिभाषकगण

श्री श्याम सुन्दर गुप्ता – वकील वादीगण

श्री श्रीदास सिंह –वकील प्रतिवादी गण

मिस्ल 2-2

सहायक कलेक्टर
मु. सवाई माधोपुर

इस वाद पत्र से सम्बन्धित अन्य वादपत्र मुकदमा नम्बर 110/1992 उनवानी नन्द किशोर बनाम रामविलास को आदेशिका दिनांक 16.10.2002 से इस वाद पत्र के साथ सुनवाई की जाकर एक ही निर्णय पारित करने आदेश पारित होने पर मुकदमा नम्बर 110/1992 को इस पत्रावली के साथ समेकित (Consolidate) किया गया।

वादी का वाद पत्र मुकदमा नम्बर 80/2012 संक्षेप में इस प्रकार है कि अराजीयात खसरा नम्बर 908, 985, 914 वाकेग्राम दुब्बी जमाबन्दी संवत 2044 से 2047 में मुसम्मात फौदी पुत्री रामकुंवार व बजरंगा, प्रभू लाल, रामनिवास पिसरान जगन्या व गोकुल पुत्र रामप्रसाद ब्राहमण हिस्सा बराबर दर्ज है एवं अराजी खसरा नम्बर 1001, 1033 वाके ग्राम दुब्बी मुसम्मात फौदी पुत्री रामकुंवार के नाम दर्ज है। मुसम्मात फौदी की फौत हो चुकी है। अराजी खसरा नम्बर 908, 985, 914, 1001, 1033 वाके ग्राम दुब्बी के 1/2 भाग पर वादीगण अपने पिता जगन्या के समय से ही काबिज है। मुसम्मात फौदी लाऔलाद फौत हुई है एवं रामकुंवार काफी अर्से पूर्व फौत हो चुका है। वाद ग्रस्त अराजीयात के 1/2 भाग के हम व हमारे पिता जगन्या राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के वक्त से राजस्व रिकार्ड में 1/2 भाग पर शिकमी काश्तकार भी दर्ज है। इस आधार पर भी वादग्रस्त आराजीयात के 1/2 भाग के खातेदार है।

प्रतिवादीगण द्वारा इन अराजीयात को हड़पने की गरज से गलत सजरा बताकर विवादग्रस्त अराजीयात का एक नामान्तरण संख्या 1 दिनांक 15.06.1991 को खुलवाकर अपने नाम दर्ज करवा लिया, जिसे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा दिनांक 04.03.1999 निरस्त किया जा चुका है। दिनांक 23.07.1992 को वादीगण अपने अराजीयात की काश्त की सम्भालने गये तो प्रतिवादीगण लाठिया लेकर आ गये तथा वादीगण से कहा कि तुम जो 1/2 भाग काश्त कर रहे हो उसका कब्जा छोड़ो वरना जान से मार देंगे। इसी कारण से दावा करना आवश्यक हो गया। अतः वादीगण का वाद पत्र निम्नप्रकार से डिक्री फरमाया जावे।

1. आराजी खसरा नम्बर 908, 985, 914, 1001,1033 वाके ग्राम दुब्बी की खातेदारी से मुसम्मात फौदी का नाम हजब फरमाते हुये 1/2 भाग की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज की जावे।
2. नामान्तरण संख्या 1 दिनांक 15.06.1991 जो ग्राम पंचायत जटवाड़ा द्वारा खोला गया है उसे निरस्त फरमाया जावें।
3. प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि उक्त अराजीयात के 1/2 भाग के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत न तो स्वयं करें ना अन्य से करावें।

प्रस्तुतवादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्मन प्रतिवादीगण को जारी किये गए। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया। उसमें अंकित किया है कि प्रतिवादीगण व वादीगण एक ही पुस्तैनीवाला की औलाद है जो सरिया उर्फ श्रीराम की खातेदारी की अराजीयात है। प्रतिवादीगण उक्त अराजीयात के 1/2 हिस्से के अधिकारी है तथा 1/2 हिस्से में वादीगण अधिकारी है। उपरोक्त अराजीयात का आज तक कोई विभाजन नहीं हुआ है। पारिवारिक समझौता के अनुसार ही कुछ जमीन प्रतिवादीगण जोत रहे है। कुछ जमीन वादीगण जोत रहे है। प्रतिवादीगण की अराजीयात खसरा नम्बर 1001 व 1033 जिसपर प्रतिवादीगण का कब्जा है। जबरन

--3

सहायक कलेक्टर
मु० सवाई माधोपुर

निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें कि आराजीयात खसरा नम्बर 908, 914, 985, 635, 979, 1001, 1033, 806, 563, 585 कुल किता 10 कुल रकबा 16 बिघा 4 बिस्वा तथा 580 रकबा 1 बिघा 11 बिस्वा वाके ग्राम दुब्बी बनास के प्रतिवादी गण के 1/2 हिस्से में कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करें। तथा वादीगण का वादपत्र खारीज फरमाया जावे।

वादीगण की ओर से काउन्टर क्लेम कर जवाब पेश करते हुये अंकित किया है कि खसरा नम्बर 1001 व 1033 के 1/2 हिस्से पर हम वादीगण का कब्जा है। खसरा नम्बर 563 व 585 गंगाधर की खातेदारी का था, जिसे स्वयं गंगाधर ने हमारी सेवाओं से खुश होकर जरिये रजिस्टर्ड हमें दान में दी। उक्त खसरा नम्बर से प्रतिवादीगण का कोई ताल्लुक नहीं है। खसरा नम्बर 979 रकबा 1 बिघा 14 बिस्वा हम वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त में है। उक्त अराजीयात से प्रतिवादीगण का कोई वास्ता नहीं है। अतः प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम खारिज फरमाया जावें। उक्त प्रकरण में निम्न तनकीयात कायम की गईः–

1. आयावादीगण विवादग्रस्त अराजीयात खसरा नम्बर 908, 914, 985, 1001, 1033 कुल रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा के 1/2 भाग के खातेदार घोषित होने के अधिकारी है।(वादीगण)
2. आया वादीगण विवादग्रस्त आराजीयात ख0नं0 908,985,914,1001,1033, वाके ग्राम दुब्बी के 1/2 भाग में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत या मदाखलत न तो खुद करें और नही अपने नौकर या ऐजेन्ट से कराने के लिये प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है? (वादीगण)
3. आया आराजियात खं0नं0 908,,914,985,635,979,1001,1033,585 कुल किता 10 रकबा 16 बीघा 4 बिस्वा व खं0 नं0 580 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम दुब्बी के वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1/2,1/2 भाग के अधिकारी है?(प्रतिवादीगण)
4. आया प्रतिवादीगण आराजियात खं0 नं0 908, 914, 985, 635, 979, 1001, 1033, 806, 563, 585 कुल किता 10 कुल रकबा 16 बिघा 4 बिस्वा तथा 580 रकबा 1 बिघा 11 बिस्वा वाके ग्राम दुब्बी बनास के प्रतिवादी गण के 1/2 भाग के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण को नही रोकने के लिये वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकाकरी है? (प्रतिवादीगण)
5. आया विवादित आराजीयात के सम्बन्ध में पूर्व में प्रतिवादीगण ने इस न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर रखा है । इसलिये धारा 10 सीपीसी के तहत वादीगण को यह दावा पेश करने का अधिकार नही है। वह दावा खारिज किये जाने योग्य है। (प्रतिवादीगण)
6. अन्य अनुतोष ?

साक्ष्य वादीगण में पीडब्लू –1 बजरंग लाल के बयान कलम बद्व किये तथा जमाबंदी सम्वत 2044–47 प्रदर्श –1 व प्रदर्श –2 निर्णय अतिरिक्त मुंशिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रदर्श–3 डिकी प्रदर्श–4 नकल जमाबन्दी सम्वत 2044–47 प्रदर्श –5,6,7 व 8 प्रदर्शित करवाये। साक्ष्य वादी में ही पीडब्लू –2 अर्जुन व पीडब्लू–3 मोहरपाल के बयान कलम बद्व किये गये वकील वादीगण ने अपनी साक्ष्य बन्द करवाई। साक्ष्य प्रतिवादी में डी0डब्लू–1 दामोदर के के बयान शपथ पत्र पर पेश हुये तथा प्रतिवादीगण के दस्तावेजो पर प्रदर्श डी–1 व डी–2 व जवाब दावा प्रदर्श डी–3 प्रदर्शित करवाये ।

सहायक कलेक्टर
मु. सवाई माधोपुर

गई। वकील प्रतिवादीगण ने अपनी साक्ष्य बंद करवाई।

हमने उभय पक्ष वकुलाये की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया। तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार किया जाता है।

तनकी नं0 1 आयावादीगण विवादग्रस्त अराजीयात खसरा नम्बर 908, 914, 985, 1001, 1033 कुल रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा के 1/2 भाग के खातेदार घोषित होने के अधिकारी है।(वादीगण)

तनकी नं01. को सिद्व करने का भार वादीगण पर है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2044 से 2047 प्रदर्श –1 , में विवादित आराजीयात मु0 फोदी के नाम ख0नं0 1001 व 1033 दर्ज हो रहे है। इसी प्रकार नकल जमाबंदी सम्वत 2044–47 प्रदर्श –2 में मु0 फोदी के अलावा बजरंगा,रामनिवास,प्रभूलाल पिता जगन्या व गोकुल पुत्र रामप्रसाद हिस्सा बराबर खं0 नं0 908,985,914,सह खातेदारी में दर्ज हो रहे है। इस प्रकार चूंकि फोदी लाओलाद फोत हो चुकी है। इस कारण फोदी की आराजीयात पर वादीगण व प्रतिवादीगण का 1/2, ,1/2 हिस्सा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त करने के अधिकारी है। वादीगण द्वारा अपने बयानों में भी इसकी पुष्टि की है। अतः इस प्रकार वादीगण इस तनकी को सिद्व करने में सफल रहे है। अतः यह तनकी वादी गण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं02 आया वादीगण विवादग्रस्त आराजीयात ख0नं0 908,985,914,1001,1033, वाके ग्राम दुब्बी के 1/2 भाग में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत या मदाखलत न तो खुद करें और नही अपने नोकर या ऐजेन्ट से कराने के लिये प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है? (वादीगण)

इस तनकी को भी सिद्व करने का भार वादीगण पर है। वादीगण द्वारा तनकी नं0 1 में अंकित आराजीयात में 1/2 हिस्सा उनकी खातेदारी में दर्ज कराने हेतु मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर सिद्व किया है तथा तनकी नं0 1 वादी गण के पक्ष में निर्णित हुई है। वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में अंकित किया है कि प्रतिवादीगण उनके 1/2 हिस्से की आराजीयात में मजामहमत व मदाखलत करते है जिसका उन्हे कोई अधिकार प्राप्त नही है। वादीगण के 1/2 हिस्से की आराजीयात में किसी प्रकार की कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नही करे प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है। इस प्रकार इस तनकी को भी वादीगण सिद्व करने में सफल रहे है। अतः यह तनकी भी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती हैं ।

तनकी नं0 3 आया आराजियात खं0नं0 908,,914,985,635,979,1001,1033,585 कुल किता 10 रकबा 16 बीघा 4 बिस्वा व खं0 नं0 580 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम दुब्बी के वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1/2,1/2 भाग के अधिकारी है?(प्रतिवादीगण)

इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर है तत्कालीन उपजिला कलेक्टर के निर्णय दिनांक 19.05.1999 के अनुसार अप्रार्थीगण (नन्द किशोर उर्फ गोकुल पुत्र रामप्रसाद, रमेश चन्द पुत्र मूलचंद वगै0) ने आराजी खसरा नम्बर 914 रकबा 8 बिस्वा में से 4 बिस्वा भूमि कजोड़ पुत्र नाथू भाई को बेच दिया। इस कारण उक्त खसरा नम्बर पर अप्रार्थीगण का कोई हिस्सा शेष नहीं रहता है। शेष हिस्सा 4 बिस्वा पर प्रार्थीगण (राम विलास, बजरंगा, प्रभुलाल पुत्र जगन्या) के हक में स्वीकार किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
मु. सवाई माधोपुर

बिस्वा में से 1/2 हिस्सा लेने का दावा प्रस्तुत किया है। उक्त खसरा नम्बरान् के सम्बन्ध में पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजों व दौराने बहस प्रतिवादीगण के वकील द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकोर्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन के पश्चात् राजस्व (ग्रुप -6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.क-3(2) राज-6/2007/14 दिनांक 24.05.2007 के बिन्दु संख्या 4, 5, 6 का संदर्भ लेते हुए न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि खसरा नम्बरान् 563 व 585 को गंगाधर पिसरान हरबक्स ने श्री जगननाथ, गोपीलाल पिसरान शंकर को रजिस्टर्ड दानपत्र द्वारा 08.10.1963 को दान में थी। अतः खसरा नम्बरान् पर जगननाथ व गोपी के वारिसान् का हक स्वीकार किया जाता है।

राजस्व रिकार्ड खतौनी बंदोवस्त सम्वत् 2004 से 2023 के अनुसार खसरा नम्बर 635 रकबा 2 बिघा खातेदार गोपी वल्द शंकर के नाम तथा खसरा नम्बर 635 रकबा 1.14 बिस्वा खातेदार जगना वल्द शंकर के नाम दर्ज है। अतः उक्त दोनों खसरा नम्बरान् पर गोपी व जगना के वारिसान् के नाम खातेदारी स्वीकार की जाती है। अतः उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण ख0नं0 908, 985, 1001 व 1033, के 1/2 हिस्से के ही खातेदारी अपने नाम लगाने के अधिकारी है। इस प्रकार यह तनकी आंशिक रूप से प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती हैं।

तनकी नं0 4 आया प्रतिवादीगण आराजियात खं0 नं0 908, 914, 985, 635, 979, 1001, 1033, 806, 563, 585 कुल किता 10 कुल रकबा 16 बिघा 4 बिस्वा तथा 580 रकबा 1 बिघा 11 बिस्वा वाके ग्राम दुब्बी बनास के प्रतिवादी गण के 1/2 भाग के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण को नही रोकने के लिये वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकाकरी है? (प्रतिवादीगण)

इस तनकी को सिद्व करने का भार भी प्रतिवादीगण पर है तनकी नं0 3 में आराजी खं0 नं0 908, 985, 1001,व 1033 के 1/2 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की गई। केवल इन्ही खं0 नं0 के लिये प्रतिवादीगण वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है। अतः यह तनकी भी प्रतिवादीगण के पक्ष में आंशिक रूप से निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 5 आया विवादित आराजीयात के सम्बन्ध में पूर्व में प्रतिवादीगण ने इस न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर रखा है । इसलिये धारा 10 सीपीसी के तहत वादीगण को यह दावा पेश करने का अधिकार नही है। वह दावा खारिज किये जाने योग्य है। (प्रतिवादीगण)

इस तनकी के सम्बन्ध में आदेशिका दिनांक 16.10.2000 के अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मुकदमा नं0 110/92 इस वाद पत्र के साथ समेकित किया गया है। इस कारण यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

इस प्रकार तनकीवार दिये गये निर्णय के आधार पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण को आराजी खं0 न0 908, 985, 914, 1001, 1033, जिसके नये खसरा नम्बर **820,1410,1412,814,1464,1465,1555 एवं 1556 बने है, उक्त आराजीयात के 1/2 - 1/2 हिस्से के खातेदार घोषित किये जाते है। तत्कालीन उपजिला कलेक्टर के निर्णय दिनांक 19.05.1999 के अनुसार अप्रार्थीगण (नन्द किशोर उर्फ गोकुल पुत्र रामप्रसाद, रमेश चन्द पुत्र मूलचंद वगै0) ने आराजी खसरा** नम्बर 914 रकबा 8 बिस्वा में से 4 बिस्वा हाल खसरा नं0 814 भूमि कजोड़ पुत्र नाथू भाई को बेच दिया। इस कारण उक्त खसरा नम्बर पर अप्रार्थीगण का कोई हिस्सा शेष नहीं रहता है। शेष हिस्सा

--- 6

सहायक कलेक्टर
मु. सवाई माधोपुर

4 बिस्वा पर प्रार्थीगण (राम विलास, बजरंगा, प्रभुलाल पुत्र जगन्या) के हक में स्वीकार किया जाता है।तदानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावें।

प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम में खसरा नम्बर 563 व 585 कुल रकबा 4.19 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा लेने का दावा प्रस्तुत किया है। उक्त खसरा नम्बरान् के सम्बन्ध में पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजों व दौराने बहस प्रतिवादीगण के वकील द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकोर्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन के पश्चात् राजस्व (ग्रुप –6) विभागे के परिपत्र क्रमांक प.क–3(2) राज–6/2007/14 दिनांक 24.05.2007 के बिन्दु संख्या 4, 5, 6 का संदर्भ लेते हुए न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि खसरा नम्बरान् 563 व 585 जिनके हाल खसरा नं0 1215,1179 तथा 1261 बने है, जो वादीगण के पूर्वज जगन्या को गंगाधर से जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 08.10.1963 से प्राप्त हुई है जो वादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज है। उन पर वादीगण का हक स्वीकार किया जाकर वादीगण की खातेदारी यथावत रखी जाती

राजस्व रिकार्ड खतौनी बंदोवस्त सम्वत् 2004 से 2023 के अनुसार खसरा नम्बर 635 रकबा 2 बिघा खातेदार गोपी वल्द शंकर के नाम तथा खसरा नम्बर 979 रकबा 1.14 बिस्वा खातेदार जगना वल्द शंकर के नाम दर्ज है। उक्त दोनों खसरा नम्बरान् पर गोपी व जगना के वारिसान् के नाम खातेदारी स्वीकार की जाती है। राजस्व रिकोर्ड खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2004– 2023 के अनुसार खसरा नम्बरान् 580 व 806 माफी मन्दिर श्रीगोपाल जी वाके सवाईमाधोपुर के नाम दर्ज है। इस राजस्व अंकन को यथावत् रखने का निर्णय लिया जाता है।

वादी गण एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे अपने–अपने के हिस्से की खातेदारी में ही रहे तथा एक–दूसरे के हिस्से में अतिक्रमण नहीं करें, न ही एक–दूसरे के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन करें। **खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। तदानुसार डिकी पर्चा जारी हो।**

इस प्रकार वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। एवं प्रतिवादी का काउन्टर कलेम आंशिक स्वीकार किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 16.04.2018 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो मियाद गुजरने बाद दाखिल दफतर हो ।

(अन्जू शर्मा)
सहायक कलेक्टर (मु0)
सवाई माधोपुर